

पञ्जाब वास्ते अफ़ायीगण जवाब
में आयेका दिनांक 7.11.22 को पेश
है।

4

7/11/22

पञ्जाब वेरा। ज़ाकी अधिवक्ता उपा.
ज़ाकी अधिवक्ता की एक फ़ायीप बख्त
सुनी। पञ्जाब वेरा स्वीकार पोष्य होने
से स्वीकार भी जाती है। दिनांक
03.08.18 को जारी अन्तरीम अयगन
आदेश को लाफ़सला बदला जाकर
पञ्जाब वेरा निर्णीत भी जाती है।

पञ्जाब वेरा फ़ायीप सुधार
होकर वर्ज नख्त से कान भी
जाकर वायिल बफ़ाल है।

रहायक कलेक्टर
(S. D. O.) रेवत